न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 04/2025
निर्णय दिनांकः– 16.01.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. श्रीमती गेन्द कंवर धर्मपत्नि श्री दातार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री गोपेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर. टी. एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–16.01.2025

प्रार्थी पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 572 के आराजी खसरा नम्बर 3125 रकबा 17.5892 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा 1/36 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण पटवार हल्का चौरू दक्षिण भू०अभि०नि० क्षेत्र चौरू तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। विवादग्रस्त आराजी को प्रार्थीया के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2004 को क्रय किया था वरवक्त विक्रय पत्र में प्रार्थीया का नाम गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह सही अंकित था, जिसके अनुसार प्रार्थीया के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 09.12.2004 के द्वारा गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह सही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था। परन्तु अभी हाल ऑनलाईन नवीन जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह की जगह गेन्द कंवर पत्नि बुधसिंह दर्ज हो गया है इसलियें न्यायहित में गेन्दकंवर पत्नि बुधसिंह की जगह गेंन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंहएक ही महिला व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का ग्राम चौरू में अन्य कोई महिला व्यक्ति नही है। एवं प्रार्थीया का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 व जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 से पूर्णतया सिद्ध होता है कि गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। इसलिये प्रार्थीया का नाम

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

गेन्द कंवर पत्नि बुधसिंह की जगह गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये प्रार्थीया उक्त आराजीयात में दुरस्ती इन्द्राज करवाने की अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 30.12.2024 को प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्काद्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में गेन्द कंवर पत्नि बुधसिंह दर्ज है जबकि सही नाम गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थी घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया का प्रार्थी कारण दिनांक 30.12.2024 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रार्थीया का प्रार्थी अंदर मियाद प्रस्तुत है। अप्रार्थी सं01 को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान की विप्रार्थीत आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस प्रार्थी की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 के खाता सं0 572 के ख0न0 3125 मे गेन्द कंवर पत्नि बुंधसिंह हिस्सा 1/36 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2060 – 2063 के खाता सं0 प्रार्थीया को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये बेचांन नामान्तकरण सं0 187 दिनांक 09.12.2004 के द्वारा प्राप्त हुई है जिसमे प्रार्थीया का नाम गेंदकवंर पत्नि दातारासिंह दर्ज है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम चौरू दक्षिण मे स्थित खाता सं0 572 उक्त विवादग्रस्त आराजी गेन्दकंवर पत्नि बुधसिंह हिस्सा 1/36 जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2060/2063 में वादीया का नामान्तकरण सं. 187 दिनांक 09.12.2004 बेचान द्वारा आराजी ख.नं. 3125 रकबा 69–11 बीघा में नवलसिंह पुत्र बुद्धसिंह हिस्सा 1/36 जाति राजपूत के स्थान पर श्रीमती गेंदकंवर धर्मपत्नि दातारसिंह हिस्सा 1/36 जाति राजपूत सा0 देह के पक्ष में नामा0 स्वीकार हुआ। जिससे प्रतीत होता है कि वादीया का सही नाम गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह है। संलग्न दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड में वादीया का नाम गेन्द कंवर पत्नि दातार सिंह

लगातार....................3

उपखण्ड अधिकारी, जयपुर

जिला–जयपुर

दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा पेश प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया है कि गेन्द कंवर पत्नि दातार सिंह वार्ड नं. 4 (रावला) ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर की मूल निवासी है जिसका सही नाम गेन्द कंवर पत्नि दातार सिंह है।

हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 572 के आराजी खसरा नम्बर 3125 रकबा 17.5892 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन गेन्द कंवर पत्नि बुधसिंह के स्थान पर गेन्द कंवर धर्मपत्नि दातार सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

सत्यमेव जयते